**झारखण्ड सरकार**
**जल संसाधन विभाग**

**पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/कार्य/897/2015— ................ राँची, दिनांक ........................**

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू राँची।

**द्वारा :— आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

**विषय :— वित्तीय वर्ष 2015—16 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु शीर्ष 4701—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन मद में ₹ 262.20 लाख (रूपये दो करोड़ बासठ लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

**आदेश स्वीकृत**

1. वित्तीय वर्ष 2015—16 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु शीर्ष 4701—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन मद में ₹ 262.20 लाख (रूपये दो करोड़ बासठ लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके अंतर्गत सिंचाई अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंताओं द्वारा नियोजित मौसमी मजदूरों का पारिश्रमिक भुगतान एवं सिंचाई योजनाओं का वार्षिक रख रखाव इत्यादि कार्य कराया जाएगा।

3. प्रस्तावित कार्य की विवरणी परिशिष्ट—I पर संलग्न है।

4. प्रस्तावित कार्य वर्ष 2015—16 में प्रारंम्भ कर एक वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

5. इस कार्य पर होने वाला ₹ 23.01 लाख का व्यय मुख्य शीर्ष '4701'—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—80—सामान्य—लघु शीर्ष 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—उपशीर्ष—46—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन —विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—43—अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण;

   रूपये 155.62 लाख का व्यय मुख्य शीर्ष—'4701'—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—80—सामान्य—लघु शीर्ष—800—अन्य व्यय—उप शीर्ष—46— सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—43— अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण;

   एवं ₹ 83.57 लाख का व्यय मुख्य शीर्ष—4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष—80—सामान्य--लघु शीर्ष—789—अनुसुचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष—46--सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—43— अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्य के कार्यपालक अभियंता होंगे तथा संबंधित मुख्य अभियंता इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे इन कार्यों का सतत् पर्यवेक्षण करते हुए आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करेगें।

8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

9. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंध है।

10. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
**(मुक्तिसाधन चौरसिया)**
सरकार के उप सचिव (अभि०)

**पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/897/2015– ................ राँची, दिनांक ........................**

**प्रतिलिपि** :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड राँची एवं योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
**(मुक्तिसाधन चौरसिया)**
सरकार के उप सचिव (अभि०)

**पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/897/2015– ................ राँची, दिनांक ........................**

**प्रतिलिपि** :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
**(मुक्तिसाधन चौरसिया)**
14/15-16 डि॰ सरकार के उप सचिव (अभि०)

**पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/897/2015– ................ राँची, दिनांक** 02.07.2015

**प्रतिलिपि** :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/मेदिनीनगर/हजारीबाग/चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर/ईचा–गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोटिरिंग अंचल–1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/07/2015

**(मुक्तिसाधन चौरसिया)**
सरकार के उप सचिव (अभि०)

02/07/15